उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या- 40 /2017/188/92-2-17-202आरई/98

लखनऊ:: दिनांक 08 मार्च 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अब्दुल वाहिद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- ललितपुर के कार्यकाल में कराये गये कार्यो की विभागीय लेखा निदेशालय द्वारा की गयी जॉच में पायी गयी अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6637/62-3-99-202आरई/98 दिनांक 15-11-1999 द्वारा उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में श्री अब्दुल वाहिद, अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2007 को सेवानिवृत्त हो गये। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-213/92(प्रकोष्ठ) /2012-202आरई/98 दिनांक 06.06.2012 द्वारा श्री अब्दुल वाहिद के विरूद्व संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

2- श्री अब्दुल वाहिद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के पत्र दिनांक 21.12.2000 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कतिपय आरोप सिद्ध पाये गये। उक्त सिद्ध पाये गये आरोपो के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 29.09.2001 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया। अपचारी अधिकारी, श्री अब्दुल वाहिद को अभ्यावेदन दिनांक 29.09.2001 की तामील कराये जाने के काफी समय बाद अभ्यावेदन प्राप्त न होने पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित अनन्तिम निर्णय लिया।

" अपचारी अधिकारी द्वारा मजदूरों को किये गये दोहरे भुगतान की धनराशि रू0-2,376.00 उनके वेतन एवं भत्तों से वसूल किया जाय।"

3- शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अपचारी अधिकारी को दण्डित किये जाने के पूर्व दण्ड के अन्तिम विनिश्चय पर शासन के पत्र दिनांक 27.08.2002 द्वारा अपचारी अधिकारी को अपना पक्ष रखने के लिये 15 दिन का समय दिया गया तथा शासन के पत्र दिनांक 16.04.2003, 28.01.2004, 16.09.2004 व 09.07.2015 द्वारा अनुस्मारित कराते हुए श्री वाहिद को दिनांक 30.07.2015 तक का समय दिया गया किन्तु अपचारी अधिकारी, श्री अब्दुल वाहिद, द्वारा अभ्यावेदन शासन में उपलब्ध नहीं कराया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जॉच अधिकारी द्वारा कतिपय अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की बात कही गयी। शासन के पत्र दिनांक 11.01.2016 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ एवं अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित अपचारी अधिकारी, श्री अब्दुल वाहिद से पत्राचार कर उन्हे उपास्थित होने की तिथि निश्चित कर, उनके द्वारा अपेक्षित अभिलेखों की प्रतियां उन्हे उपलब्ध करा दी जाय, जिससे व अपना अभ्यावेदन शासन को प्रस्तुत कर सकें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त के उपरान्त भी अपचारी अधिकारी द्वारा अपना अभ्यावेदन शासन को प्रस्तुत नही किया गया। शासन द्वारा मागें गये अभ्यावेदन का उत्तर बार-बार अनुस्मारित कराये जाने के बाद भी अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी द्वारा जॉच में सहयोग नही किया गया।

4- जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोपो के आधार पर अपचारी अधिकारी द्वारा मजदूरों को दोहरे भुगतान किये जाने के फलस्वरूप हुई शासकीय क्षति की धनराशि रू0 2,376.00 की वसूली अपचारी अधिकारी, श्री अब्दुल वाहिद के सेवानैवृत्तिक देयकों (पेंशन एवं ग्रेच्युटी) से किये जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चित किया गया। उक्त विविश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 23.11.2016 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। मा0 लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र दिनांक 23.01.2017 द्वारा शासन के प्रस्तावित अनन्तिम दण्ड पर निम्नवत सहमति व्यक्त की गयी है :-

"अपचारी अधिकारी द्वारा मजदूरों को दोहरे भुगतान किये जाने के फलस्वरूप हुयी शासकीय क्षति की धनराशि रू0 2,376.00 की वसूली अपचारी अधिकारी श्री अब्दुल वाहिद के सेवा नैवृत्तिक देयकों (पेंशन एवं ग्रेच्युटी) से की जाय।"

5- अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6637/62-3-99-202आरई/98 दिनांक 15-11-1999 द्वारा श्री अब्दुल वाहिद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-213/92(प्रकोष्ठ) /2012-202आरई/98 दिनांक 06-06-2012 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया, में उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है :-

"श्री अब्दुल वाहिद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा मजदूरों को दोहरे भुगतान किये जाने के फलस्वरूप हुयी शासकीय क्षति की धनराशि रू0 2,376.00 (रूपये दो हजार तीन सौ छिहत्तर मात्र) की वसूली अपचारी अधिकारी श्री अब्दुल वाहिद के सेवा नैवृत्तिक देयकों (पेंशन एवं ग्रेच्युटी) से की जाय।" यदि यह धनराशि उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूल किया जाना संभव न हो तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली की जाय।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 40/2017/188(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री अब्दुल वाहिद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

4- लोक सेवा आयोगा, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र सं0-102/6एडीसी/एस-12/2016-17 दिनांक 23-01-2017 के संदर्भ में।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।